

1. चैकिंग अधिकारी का नाम

Df821

पद

MVR

पदस्थापन कार्यालय एवं जिला

जयपुर

2. मोटर वाहन चैकिंग स्थल :

22/12/2019

3. चैकिंग का दिनांक व समय :

25/05/19

4. वाहन की श्रेणी
(ट्रक/बस/गाड़ी)

T921

5. रजिस्ट्रेशन नं. व रजिस्ट्रेशन का स्थान
(राज्य-जिला)

R70 जयपुर

6. वाहन स्वामी का नाम :

पिता का नाम :

जाति :

पूर्ण पता :

7. वाहन के चालक का नाम :

पिता का नाम :

जाति :

पूर्ण पता :

8. परिचालक का नाम :

पिता का नाम :

जाति :

पूर्ण पता :

9. (क) चालक लाईसेन्स का विवरण :

(1) लाईसेन्स नं. व वैधता की अवधि

(2) लाईसेन्स जारी होने का स्थान

(ख) परिचालक लाईसेन्स का विवरण :

(1) लाईसेन्स नं. व वैधता

(2) लाईसेन्स जारी होने का स्थान

10. उपरोक्त मोटर वाहन को

से

से जांचे हुए चैक किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 व राजस्थान मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1951 के निम्नलिखित प्रावधान का उल्लंघन पाया गया :

1. वाहन बिना परमिट पाया गया

3. वाहन निर्धारित मार्ग से हटकर चलाया जा रहा है।

5. वाहन का टैक्स बकाया है।

7. वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं है।

2. वाहन में क्षमता से अधिक भार है

4. वाहन की फिटनेस नहीं हुई है।

6. वाहन का इन्डोरेन्स नहीं है।

8. चालक लाईसेन्स नहीं है।

9. अन्य

वाहन में भार अधिक है, चालक लाईसेन्स नहीं है, वाहन की फिटनेस नहीं हुई है, वाहन का टैक्स बकाया है।
(T921) वाहन नं. 1.

हस्ताक्षर चालक
हस्ताक्षर परिचालक
हस्ताक्षर गवाह

कार्यालय
उपयोग हेतु

की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

हस्ताक्षर चैकिंग अधिकारी

नोट :- चैकिंग के दौरान पाई जाने वाली कमियों का विस्तृत विवरण खाली स्थान में दें। आवश्यकता होने पर अलग पेज पर संलग्न करें।